छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक डी. 353 /2002/खनिज रायपुर, दिनांक 12-2-2002

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
रायपुर (छ0ग0)

विषय:- माइनिंग प्लान तैयार कराने हेतु विभागीय पूर्वेक्षण प्रतिवेदन का आवेदकों द्वारा उपयोग किया जाना ।

-00-

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2) के प्रावधान अनुसार मुख्य खनिज की उपलब्धता प्रमाणित होने पर ही खनिपट्टा स्वीकृत किया जा सकता है, तथा इसी आधार पर खनि रियायत नियमावली 1960 के नियम 22(3) ई के प्रावधान अनुसार खनिपट्टा आवेदक द्वारा शासन की अनुमति से माइनिंग प्लान तैयार कराया जाकर भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदनोपरांत शासन को प्रस्तुत किया जाता है ।

खनिज की उपलब्धता आवेदक द्वारा पूर्वेक्षण कर या विभाग (संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म) द्वारा किये गये पूर्वेक्षण के आधार पर प्रमाणित की जाती है ।

जिन क्षेत्रों में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विभागीय पूर्वेक्षण कार्य किया जाता है, उसमें लगने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय पूर्वेक्षण रिपोर्ट का उपयोग करने हेतु खनिपट्टा स्वीकृत कराने वाले आवेदकों से रुपये 8000=00 प्रति हेक्टर अथवा उसके भाग के लिए पूर्वेक्षण शुल्क लिये जाने के निर्देश म०प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 4.2.1999 द्वारा जारी किया गया था ।

वर्तमान में वेधन व्यय, अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते, श्रमिकों की मजदूरी, खनिज नमूनों के रासायनिक विश्लेषण में लगने वाले व्यय, डीजल,

..... 2 पर

पेट्रोल, के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप विभागीय पूर्वेक्षण शुल्क में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 4.2.1999 के अनुसार निर्धारित रूपये 8000=00 के स्थान पर रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) प्रति हेक्टर अथवा उसके भाग के लिए पूर्वेक्षण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभागीय पूर्वेक्षण क्षेत्र पर सीधे खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला आवेदक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ में उपरोक्त निर्धारित राशि आवेदित क्षेत्र के लिये जमाकर पूर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर शासन को प्रस्तुत करने के उपरांत ही खनिपट्टा आवेदन पत्र पर विचार किया जावेगा। अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये पूर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एडवर्ड तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग.

पृष्ठा.क्र. डी. 354 /2002/खनिज रायपुर, दिनांक 12-2-2002

प्रतिलिपि:-

1. समस्त आयुक्त .... संभाग................ (छ०ग०)
2. समस्त कलेक्टर .... (छ०ग०)
3. समस्त क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय .... (छ०ग०)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग.

प्रपत्र – 1

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा चूनापत्थर/डोलोमाइट/बाक्साइट लौह अयस्क आदि खनिजों हेतु किये गये पूर्वेक्षण के पूर्ण/आंशिक भाग के प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रपत्र –

1 आवेदक का नाम ____________________

2 आवेदक का पूरा पता ____________________

3. किस खनिज का पूर्वेक्षण प्रतिवेदन चाहा है ____________________

4. आवेदक द्वारा चाहे गये पूर्ण/आंशिक प्रतिवेदन के क्षेत्र का विवरणः–

   1. (ग्राम/ग्रामों का नाम) (प.ह.न. सहित) ____________________
   2. ग्राम पंचायत का नाम ____________________
   3. तहसील का नाम ____________________
   4. जिले का नाम ____________________

5 आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग कि.मी.) ____________________

6. आवेदित क्षेत्र का मानचित्र संलग्न करें ____________________

   1. टोपोशीट में क्षेत्र अंकित करें (स्केल 1:50,000) ____________________
   2. पटवारी मानचित्र में क्षेत्र अंकित करें (1:4,000) ____________________

7. खनिज का दोहन कर किस उद्योग में उपयोग किया जायेगा उसका विवरण –

संलग्नः–

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम, पूरा पता (पिन कोड, टेलिफोन नम्बर सहित)